

ऑनलाइन प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के निबन्धन की ऑनलाइन प्रक्रिया

समिति गठन एवं निबन्धन की प्रक्रिया को ऑनलाइन भरने से पूर्व की तैयारी

ऐसे राजस्व ग्राम के निवासी जहाँ पर्याप्त मात्रा में विपणन योग्य सरप्लस दूध उपलब्ध हो और दुग्ध उत्पादक उस सरप्लस दूध का दुग्ध व्यवसाय करते हुए दुग्ध समिति के माध्यम से विपणन में रूचि रखते हों, ऐसे दुग्ध उत्पादक सामान्य सहमति से समिति गठन की अग्रेतर कार्यवाही हेतु एक मुख्य प्रवर्तक का चयन करेंगे।

प्रारम्भिक दुग्ध समिति के गठन हेतु मुख्य प्रवर्तक निम्न कार्यवाही करेंगे—

- 1— सर्वे करने के उपरान्त विपणन योग्य सरप्लस दूध की उपलब्धता के आधार पर सम्बन्धित ग्राम के निवासियों की एक खुली आम सभा की जायेगी जिसमें दुग्ध व्यवसाय एवं दुग्ध व्यवसाय हेतु दुग्ध समिति गठन के लाभों से ग्रामवासियों को अवगत कराया जाय।
- 2— ऐसे दुग्ध उत्पादक जिनके पास अपने पशु हों और जो अपना उत्पादित दूध सहकारी समिति के माध्यम से बिक्री करने हेतु अपनी सहमति देते हैं तथा समिति के उपविधियों की जानकारी करते हुए उसके अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध हो, उनकी एक संगठन बैठक करते हुए न्यूनतम 40 सदस्यों की समिति का गठन किया जायेगा। इन 40 सदस्यों के हस्ताक्षर निबन्धन प्रपत्र पर होते हैं। गठित होने वाली प्रारम्भिक दुग्ध समिति का कार्यक्षेत्र कम से कम एक सम्पूर्ण राजस्व ग्राम होना चाहिए।
- 3— दुग्ध समिति के व्यवसाय एवं दुग्ध उत्पादकों/पशुपालकों को दुग्ध सहकारिता में विश्वास जागृत करने के दृष्टिकोण से दुग्ध समिति में अधिक से अधिक संख्या में सदस्य बनाया जाना उचित होता है।
- 4— प्रारम्भिक दुग्ध समिति के बनाये गये सदस्यों द्वारा एक बैठक की जायेगी, जिसमें इन सदस्यों में से 11 सदस्यीय प्रस्तावित प्रबन्ध समिति का चयन लोकतांत्रिक आधार पर किया जायेगा।
- 5— प्रबन्ध समिति के 11 सदस्य अपने में से एक सभापति का चयन करते हैं। यही प्रबन्ध समिति के 11 सदस्य ग्राम के किसी शिक्षित दुग्ध उत्पादक/व्यक्ति को सचिव के रूप में नियुक्त करेंगे जो समिति के दिन प्रतिदिन के कार्यों का निष्पादन व अभिलेखों के रख-रखाव का कार्य करेगा।

निबन्धन की ऑनलाइन प्रक्रिया

उपर्युक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण कर प्रारम्भिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के निबन्धन हेतु आनलाइन प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी—

- 1— दुग्धशाला विकास विभाग उ0प्र0 की वेबसाइट—<http://updairydevelopment.gov.in> पर आनलाइन दुग्ध समिति के निबन्धन प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु "आनलाइन दुग्ध समिति निबन्धन प्रक्रिया" लिंक बटन पर क्लिक करें।
- 2— मुख्य प्रवर्तक पंजीकरण फार्म में चयनित किये गये मुख्य प्रवर्तक से सम्बन्धित विवरण भरने के उपरान्त रजिस्टर बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के उपरान्त चयनित मुख्य प्रवर्तक के रजिस्टर्ड दिये गये मोबाइल नम्बर पर यूजर आईडी0 एवं पासवर्ड प्राप्त होगा।

3- प्राप्त यूजर आईडी0 एवं पासवर्ड के माध्यम से मुख्य प्रवर्तक द्वारा अपने से सम्बन्धित अन्य विवरण भरे जायेंगे। पूर्ण विवरण भरने के उपरान्त Save & Next बटन पर क्लिक करेंगे।

4- Save & Next बटन क्लिक करने के उपरान्त निबन्धन शुल्क एवं आदर्श उपविधियों के शुल्क जमा करने हेतु ट्रेजरी चालान के विवरण का प्रपत्र प्रारूप खुलेगा, जिसमें निबन्धन शुल्क रू0 50/- एवं आदर्श उपविधियों हेतु रू0 80/- जमा कर ट्रेजरी चालान संख्या व चालान की तिथि भरी जायेगी। उक्त शुल्क प्रारूप पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आनलाइन भी भरी जा सकती है। उक्त शुल्क निम्न निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा की जायेगी-

0404-	डेरी विकास
800-	अन्य प्राप्तियाँ
09-	अन्य प्रक्रीण प्राप्तियाँ

उक्त के उपरान्त Save & Next बटन पर क्लिक करेंगे।

5- Save & Next बटन क्लिक करने के उपरान्त "Society Registration" फार्म खुलेगा। जिस पर प्रारम्भिक दुग्ध समिति के निबन्धन हेतु आवेदन प्रपत्र का भाग-1 उपलब्ध होगा, जिसमें अन्य विवरण के साथ-साथ समिति गठन हेतु प्रार्थना-पत्र देने वाले सदस्यों (न्यूनतम-40 सदस्य) के विवरण भी भरे जायेंगे। उक्त प्रपत्र भरने के उपरान्त Society Registration पर क्लिक कर भरे गये विवरण का अवलोकन और प्रति प्राप्त कर सकेंगे जिससे त्रुटि सुधार कर सकेंगे। पूर्ण रूप से सही भरे गये प्रपत्र का भाग-1 भरने के उपरान्त Save Application पर क्लिक करेंगे।

6- क्लिक करने के उपरान्त प्रारम्भिक दुग्ध समिति के निबन्धन हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र का भाग-2 भरने के लिए उपलब्ध होगा। उक्त प्रपत्र का भाग-2 भरने के उपरान्त Go Back option पर क्लिक कर त्रुटि सुधार किया जा सकेगा। पूर्ण रूप से सही भरे गये प्रपत्र का भाग-2 भरने के उपरान्त Save Application पर क्लिक करेंगे।

7- क्लिक करने के उपरान्त निबन्धन की आनलाइन प्रक्रिया के अन्तर्गत Upload Attachment सेक्शन खुलेगा, जिसके माध्यम से निम्न प्रपत्र को संलग्न करना होगा-

- (क) निबन्धन शुल्क रू0 50.00 के ट्रेजरी चालान की मूल प्रति,
- (ख) चार आदर्श उपविधियों हेतु रू0 80.00 के ट्रेजरी चालान की मूल प्रति,
- (ग) कालम नं0 15 में दिये गये तदर्थ समिति के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तावित उपविधियों की 01 प्रति,
- (घ) सर्वे रिपोर्ट,
- (ङ) संपूर्ण संगठन प्रतिवेदन (प्रारूप-5),
- (च) समिति की सामान्य निकाय बैठक का कार्यवृत्त,
- (छ) आंकलन रिपोर्ट।

उपर्युक्त उल्लिखित सर्वे रिपोर्ट, संगठन प्रतिवेदन, आंकलन रिपोर्ट का प्रारूप आनलाइन दुग्ध समिति निबन्धन प्रक्रिया में उपलब्ध है, जिसे भरने के उपरान्त प्राप्ति प्राप्त किया जा सकेगा। उक्त प्रारूप की भरी हुई प्रति के उचित स्थान पर हस्ताक्षर कर स्कैन करते हुए अपलोड किया जायेगा।

उपर्युक्तानुसार पूर्ण रूप से भरे हुए निबन्धन प्रपत्र को Preview Application Form पर क्लिक कर अवलोकित करते हुए त्रुटि सुधार किया जा सकेगा, जिसके उपरान्त Final Submission of Application to General Manager पर क्लिक करने पर निबन्धन प्रपत्र अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रधान प्रबन्धक सम्बन्धित दुग्ध संघ को हस्तान्तरित हो जायेगा।

उपर्युक्तानुसार प्रेषित आवेदन की चरणबद्ध प्रगति का भी अवलोकन किया जा सकेगा।